संख्याः–07 /XXVII(1)/ 2016

प्रेषक,

श्रीधर बाबू अद्दांकी,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः: दिनांकः 02 :जनवरी, 2016

विषयः–तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2015–16 की चतुर्थ किश्त की धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के** आधार पर शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2015–16 की चतुर्थ किश्त की धनराशि **₹190499000.00 (₹उन्नीस करोड़ चार लाख नियानब्बे हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है :–

(i) संक्रमित की जा रही धनराशि प्रथमतः वेतन, भत्तों व पेंशन पर व्यय की जायेगी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एवं सदस्य जिला पंचायत) को मानदेय का भुगतान शासनादेश सं0 2004/XII/2011/86 (10)/2005 दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 में उल्लखित धनराशि के अनुसार किया जा सकेगा। शेष धनराशि विकास कार्यों पर व्यय की जायेगी।

➢)–यह धनराशि जनगणना 2011 की जनसंख्या व उसके साथ पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षेत्रफल के अनुसार तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई व्यवस्था के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। जनसंख्या व क्षेत्रफल के बढ़ने अथवा घटने के कारण पूर्व में अवमुक्त धनराशि व वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि में अन्तर आना स्वाभाविक है इसलिए अवमुक्त की जा रही धनराशि का आंकलन पूर्व में अवमुक्त धनराशि से नहीं किया जायेगा।

3- कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

4- संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

5- उपयोगिता प्रमाण–पत्र अध्यक्ष जिला पंचायत से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, (वित्त अनुभाग–1) तथा सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में विगत वित्तीय वर्षो तथा वर्तमान में संक्रमित की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (वेतन भत्तों एवं अन्य मदों में कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा।